रेकर्ड में शुद्धि किये जाने हेतु स्वीकृति
प्रदान की। अतः नियत पत्रावली
दिनांक 28.01.2020 को पेश हो।

28.01.2020 पत्रावली आज पेश हुई।

सहायक कलक्टर
जसवन्तपुरा (जालोर)

प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि सरहद मौजा जीतपुरा तहसील जसवंतपुरा में खसरा नं. 121 रकबा 0.96 है0, खसरा नं. 122 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 123 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 124 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 125 रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 126 रकबा 0.67 है0, खसरा नं. 127 रकबा 0.04है0, खसरा नं. 128 रकबा 0.54 है0, खसरा नं. 129 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 130 रकबा 0.50 है0, खसरा नं. 132 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 344 रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 382 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 383 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 384 रकबा 5.04 है0, खसरा नं. 385 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 386 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 390 रकबा 1.04 है0 एवं सरहद मौजा जसवंतपुरा तहसील जसवंतपुरा के खसरा नं. 1582 रकबा 0.68 है0, खसरा नं. 1584 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 1585 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 1586 रकबा 0.43 है0, खसरा नं. 1587 रकबा 0.76 है0, खसरा नं. 1591 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 1594 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 385 रकबा 0.88 है0 की आराजी मेफसिंह पुत्र धुकसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार एवं शेष दीगर खातेदारान के नाम से दर्ज है। प्रार्थी को बचपन में मेफसिंह के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते वक्त वास्तविक नाम महिपालसिंह कीजांच किये बिना ही गलत नाम 'मेफसिंह' दर्ज किया गया। अतः उक्त खसरान में प्रार्थी का नाम 'मेफसिंह' के स्थान पर 'महिपालसिंह' के नाम से दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में इंद्राज किया जावे व इस आशय की तहरीर तहसीलदार जसवंतपुरा को जारी की जावे।

हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस व प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात के अध्ययन के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम 'मेफसिंह' के स्थान पर 'महिपालसिंह' के नाम से दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में इंद्राज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा जीतपुरा तहसील जसवंतपुरा में खसरा नं. 121 रकबा 0.96 है0,

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... प्रकरण संख्या...../.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खसरा नं. 122 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 123 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 124 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 125 रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 126 रकबा 0.67 है0, खसरा नं. 127 रकबा 0.04है0, खसरा नं. 128 रकबा 0.54 है0, खसरा नं. 129 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 130 रकबा 0.50 है0, खसरा नं. 132 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 344 रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 382 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 383 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 384 रकबा 5.04 है0, खसरा नं. 385 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 386 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 390 रकबा 1.04 है0 एवं सरहद मौजा जसवंतपुरा तहसील जसवंतपुरा के खसरा नं. 1582 रकबा 0.68 है0, खसरा नं. 1584 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 1585 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 1586 रकबा 0.43 है0, खसरा नं. 1587 रकबा 0.76 है0, खसरा नं. 1591 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 1594 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 385 रकबा 0.88 है0 की आराजी में प्रार्थी का नाम 'मेफसिंह' के स्थान पर 'महिपालसिंह' के नाम से दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में इंद्राज किये जाने हेतू तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेशित किया जाता है। तहसीदार जसवंतपुरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करे।

मिसल फैसल होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2020.03.20 18:37:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: